उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल)
Uttarakhand Purv Sainik Kalyan Nigam (UPNL)
(Undertaking of Uttarakhand Government)
(CIN-U91200UR2004PLC028357)
Andaman Road, Garhi Cantt, Dehradun - 248003, Phone No :0135-2752178,Telfax : 0135-2754041
Website - www.upnl.co.in, E-mail : info@upnl.co.in,upnl.ua@rediffmail.com, rpo@upnl.co.in

दिशा निर्देश

संदर्भ :–

1. शासनादेश संख्या 806/का–2/2002 दिनांक 15 जून 2002.
2. शासनादेश संख्या 426/XXX(2)/2012-3(2)2006 दिनांक 25 मई 2012.
3. शासनादेश संख्या 323/XVII-3/13-09(17)/2004 दिनांक 12 जून 2013.
4. शासनादेश संख्या 771/XVII-5/16-09(26)/2014 टी0सी0 दिनांक 20 जुलाई 2016.
5. शासनादेश संख्या 595/XVII-5/16/09(17)/2004 दिनांक 09 जून 2016.
6. शासनादेश संख्या 685/XVII-5/16/09(17)/2004 दिनांक 05 जुलाई 2016.
7. शासनादेश संख्या 791/XVII-5/16-09(26)/2014TC-1 दिनांक 22 जुलाई 2016.
8. शासनादेश संख्या 190/XXVII(7)34(1)/2009 दिनांक 12 सितम्बर 2016.
9. शासनादेश संख्या 1187/XVII-5/17-09(30)/2013 दिनांक 12 सितम्बर 2017.
10. शासनादेश संख्या 630/XVII-5/18-09(17)2004 दिनांक 06 जून 2018.
11. शासनादेश संख्या 640/XVII-5/2020-09(26)2014TC-1 दिनांक 10 अगस्त 2020.
12. शासनादेश संख्या 735/XVII-5/2020-09(17)2004-TC-1 दिनांक 21 अगस्त 2020.
13. शासनादेश संख्या 814/XVII-5/2020-06(02)2020 दिनांक 16 सितम्बर 2020.
14. व्यक्तिगत अनुबन्ध.

परिचय

1. उत्तराखण्ड एक सैन्य बाहुल्य प्रदेश है जिसका प्रत्येक परिवार सेना से जुड़ा है। प्रत्येक वर्ष प्रदेश के लगभग 30 हजार सैनिक सेवानिवृत होते हैं और ऐसे समय में सेवानिवृत होते हैं, जब उनके उपर पूरे पारिवारिक दायित्व अधिक होते हैं। अतः पूर्व सैनिक एंव उनके आश्रितों का पुनर्वास करना प्रदेश के लिये एक बड़ी चुनौती है।

उद्देश्य

2. उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम यद्यपि राज्य सरकार का सार्वजनिक उपक्रम है लेकिन उपनल स्ववित्त पोशित संस्था है और इसको केन्द्र एवं राज्य सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती है और उपनल स्वयं अपने संसाधनों से इसकी व्यवस्था करता है। उपनल जहां एक ओर पूर्व सैनिकों एंव उनके आश्रितों को मुख्यतः रोजगार उपलब्ध कराता है वहीं दूसरी ओर नियोक्ता (Principal Employer) विभाग की आवश्यकताओं एंव प्राथमिकताओं को देखते हुए संतुलन भी स्थापित करता है अर्थात उपनल एक आउट सोर्सिंग एजेन्सी के रूप में भी कार्य करते हुए योग्य/अर्ह मानव श्रम/संसाधन भी उपलब्ध कराता है। वर्तमान में उपनल द्वारा अपनी वैबसाईट के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया नामांकन (Enrolment) के माध्यम से की जा रही है। उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 16 सितम्बर 2020 के आधार पर योग्य पूर्व सैनिकों/विधिक आश्रितों/पूर्व उपनल कर्मियों/अन्य को जिन्हें नामांकन संख्या (Enrolment No) दिया जा चुका है, उन्हें ही प्रायोजित किया जा रहा है।

कार्यप्रणाली

3. उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम, निदेशक मण्डल एवं सैनिक कल्याण अनुभाग उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुरूप कार्य करता है।

4. यह दिशानिर्देश उत्तराखण्ड में और उत्तराखण्ड के विभागों, संस्थानों, निगमों, प्रतिष्ठानों इत्यादि में उपनल के माध्यम से लगे हुए कार्मिकों पर लागू होंगे।

5. उपनल के माध्यम से केन्द्रीय संस्थानों/विभागों इत्यादि में सेवारत कार्मिकों के नियम टैन्डर (Tender) और अनुबन्ध (Agreement) की शर्तों के अनुसार होंगे। इसके अलावा केन्द्रीय संस्थानों/विभागों में प्रायोजन हेतु नियम उत्तराखण्ड के अधीन विभागों/संस्थानों के अनुरूप ही होंगे।

संविदा कार्मिकों का श्रेणीवार वर्गीकरण

6. सविंदा कर्मियों का श्रेणीवार वर्गीकरण उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 323/XVII-3/13-09(17) 2004 दिनांक 12 जून 2013 के नियमानुसार निम्नवत् है :–

(क) अकुशल। चौकीदार, वेटर, मसालची, परिचर, अनुसेवक ,हाउसकीपर, सफाई कर्मचारी, बेलदार, वार्डबॉय, वार्ड आया, टेलीफोन अर्दली, माली (अप्रशिक्षित), चतुर्थ श्रेणी और इस प्रकार के काम करने वाले समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(ख) अर्द्धकुशल। मीटर रीडर, वैल्डर, मिस्त्री, कुक, नर्सिंग असिस्टेन्ट, लैब टैक्निशियन, सुरक्षा गार्ड, आबकारी सिपाही, निरीक्षक, स्टोर कीपर, गेज रीडर, स्वागती और इस प्रकार के काम करने वाले समस्त कर्मी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(ग) कुशल। डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, लाइब्रेरियन, सहायक लेखाकार, रोकड़िया, लिपिक, अनुदेशक, वाहन चालक, सुपरवाइजर, सर्वेक्षक, ड्राफ्टस्मैन, लेखाकार, फार्मेसिस्ट, सशस्त्र सुरक्षा गार्ड, लाइनमैन, रेडियो आपरेटर, आई0टी0आई प्रशिक्षित माली (उद्यान विभाग एवं राज्य सरकार के अन्य संस्था का एक वर्षीय औद्योगिक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र धारी) और इस प्रकार के काम करने वाले अन्य कर्मी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(घ) उच्च कुशल। कनिष्ठ अभियन्ता, निजि सचिव, वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक, प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर, सहायक सुरक्षा अधिकारी और इस प्रकार के काम करने वाले समस्त कर्मी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(ड़) अधिकारी वर्ग। प्रशासनिक अधिकारी, क्षेत्रीय परियोजना अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, एम0बी0ए0 पर्यटन, सहायक अभियन्ता, कृषि अधिकारी, वित्त अधिकारी, विधि अधिकारी, प्रोजेक्ट मैनेजर, हास्टल मैनेजर, वैज्ञानिक/सहायक वैज्ञानिक, विपणन अधिकारी, माइक्रोबायोलोजिस्ट एवं आडिट अधिकारी इत्यादि।

आयु सीमा

7. उपनल द्वारा प्रायोजित कर्मियों की आयुसीमा का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:–

(क) उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या 806/का–2/2002 दिनांक 15 जून 2002 के अनुसार ही उपनल के माध्यम से प्रायोजित कर्मियों की अधिवर्शता आयु भी 60 वर्ष निर्धारित की गयी है।

(ख) उत्तराखण्ड सरकार के अधीनस्त संस्थान/विभाग में यदि टेन्डर के द्वारा कार्मिक कार्यरत हों तो शासनादेश दिनांक 15 जून 2002 के अनुसार आयु सीमा निर्धारित होगी।

प्रायोजन की विधि

8. पदों की मांग। उपनल को रिक्त पदों की मांग प्रमुख नियोक्ता विभाग से प्राप्त होती है जिसमें अहर्ता, कार्यस्थल, वेतनमान, अवधि एंव श्रेणीवार आरक्षण का विवरण होता है (आरक्षण के सम्बन्ध में मुख्य नियोक्ता द्वारा ही आरक्षित पदों का अनुपालन करना होगा व उसी के अनुरूप नियोक्ता विभाग उपनल से पदों की मांग करेगा)।

9. पूर्वाकांक्षित योग्यतायें। (Pre-requisities) प्रायोजित किये जाने से पूर्व अभ्यर्थियों के निम्नलिखित प्रपत्रो की जांच सुनिश्चित की जाती है :–

(क) आयु सीमा।

(ख) सेवा निवृति के दस्तावेज/पूर्व सैनिक के आश्रित होने के प्रमाण।

(ग) कार्य के अनुसार शारीरिक एवं मेडिकल क्षमता।

(ध) मुख्य नियोक्ता द्वारा मांगी गई शैक्षिक/तकनीकी योग्यतायें।

(ड़) आरक्षित वर्ग सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

(च) मूल निवास/स्थाई निवास प्रमाण पत्र।

10. वरीयता का आधार :–

(क) Battle Casualty वाले पूर्व सैनिकों, विकलांग पूर्व सैनिकों एंव पूर्व सैनिकों के विकलांग आश्रितो को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, यदि विकलांगता कार्य मे बाधा न डाले।

(ख) पूर्व सैनिक।

(ग) सैनिक एंव पूर्व सैनिक के आश्रित।

(घ) एन0सी0सी0 'बी' व 'सी' सर्टिफिकेट धारक एन0सी0सी0 कैडेट ।

(ड़) महिला अभ्यर्थी।

(च) अन्य विकलांग अभ्यर्थी यदि विकलांगता कार्य में बाधा न डाले।

टिप्पणी। अभ्यर्थी जिस कार्यक्षेत्र के ब्लॉक/तहसील/जिला का निवासी है उसे प्राथमिकता दी जायेगी।

11. सुरक्षा कर्मी एवं सशस्त्र सुरक्षा कर्मी पद हेतु अर्हताएँ :–

(क) सुरक्षा कर्मी एवं सशस्त्र सुरक्षा कर्मी। इन पदों को भरने के लिये सेवानिवृत हवलदार (वायुसेना एवं नेवी के समकक्ष) पद तक के पूर्व सैनिक ही प्रायोजित किये जायेंगे।

(ख) सुपरवाइजर। इन पदों की मांग को भरने के लिये सेवानिवृत जे0सी0ओ0 (वायुसेना एवं नेवी के समकक्ष) को प्रायोजित किया जायेगा।

(ग) ए0एस0ओ0। सहायक सुरक्षा अधिकारी के पदों को भरने के लिये सूबेदार मेजर को प्रायोजित किया जायेगा। सम्मानार्थ प्रदत्त पद (ऑनरेरी रैंक कप्तान/लै0) प्राप्त जे0सी0ओ0 को प्राथमिकता दी जायेगी।

(घ) सी0एस0ओ0। मुख्य सुरक्षा अधिकारी के लिये सशस्त्र सेना से अवकाश प्राप्त अधिकारी होते हैं, इनका चयन अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उपनल की अध्यक्षता मे गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

12. पूर्व सैनिक सुरक्षा कर्मियों के लिए निम्नलिखत शारीरिक अहर्ताएं अनिवार्य होंगी :–

क्र.स.	माप दण्ड	50 वर्ष से कम उम्र हेतु	50 वर्ष से अधिक उम्र हेतु
1.	5 मीटर शटल	एक मिनट में 12 बार	एक मिनट में 08 बार
2.	1 किलोमीटर वाक या दौड	08 मिनट में	10 मिनट में
3.	सिटअप	12	08
4.	पुशअप	10	08

नोट : इनमें से किन्हीं तीन माप दण्ड में पास होना प्रायोजन के चयन हेतु अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त प्रति वर्ष या मुख्य नियोक्ता की मांगानुसार यह शारीरिक मापदंड पास करने होंगे। यह नियम केन्द्रीय संस्थानों/विभागों में कार्यरत सुरक्षा कार्मिकों पर भी लागू होगा।

13. शारीरिक वजन। प्रायोजन से पहले सुरक्षा कर्मी हेतु अभ्यर्थियों का शारीरिक वजन लिया जायेगा जो कि authorised weight से 12% के दायरे में कम या ज्यादा हो सकता है। प्रायोजन और नियुक्ति उपरान्त भी प्रति वर्ष सुरक्षा कर्मियों का वजन नियमानुसार होना चाहिये अन्यथा उन्हें चेतावनी और एक माह का समय देने के पश्चात् उन्हें सेवामुक्त कर दिया जायेगा और प्रतिस्थानी मुख्य नियोक्ता को भेज दिया जायेगा।

14. कद. किसी भी सुरक्षा कर्मी के लिए उसका कद मुख्य नियोक्ता की मांग के अनुसार होगा।

15. उपनल द्वारा डाटा एंन्ट्री आपरेटर/लिपिक, स्टैनो, लेखाकार, पदों हेतु क्रमशः टंकण, आशुलिपिक एंव टैली इत्यादि की परीक्षा ली जाती है तथा मानकों के अनुरूप अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा। विशेषतः टंकण एवं आशुलिपि की गति निम्नवत् होनी चाहियेः–

(क) हिन्दी टंकण – 30 शब्द प्रतिमिनट।

(ख) अंग्रेजी टंकण – 40 शब्द प्रतिमिनट।

(ग) आशुलिपि – हिन्दी में 80 शब्द और अंग्रजी में 100 शब्द प्रतिमिनट।

16. शैक्षिक योग्यताएं। आमतौर पर अर्हतायें विभाग द्वारा निर्धारित की जाती हैं और उन्हीं के अनुरूप प्रायोजन किया जायेगा। अन्यथा की दृष्टि में अर्हताएं निम्नानुसार और परिशिष्ट 'क' के अनुसार होंगी।

(क) अकुशल – कम से कम 8वीं पास।

(ख) अर्ध–कुशल – कम से कम 10वीं पास।

(ग) कुशल – कम से कम 12वीं पास
(वाहन चालक और सशस्त्र सुरक्षा कर्मी के अलावा)।

(घ) उच्च कुशल – स्नातक/12वीं के बाद 3 वर्ष का डिप्लोमा।

(ड़) अधिकारी वर्ग – स्नातक एवं समकक्ष।

प्रायोजन प्रक्रिया

17. विभागों द्वारा मांग। विभागो द्वारा संविदा कर्मियों की मांग आने पर उपनल निम्नवत् कार्यप्रणाली अपनाता है :–

(क) यदि रिक्तियाँ अत्याधिक हो तो समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है, एवं निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र पंजीकृत डाक या स्वयं द्वारा मांगे जाते हैं। सीमित संख्या में मांग आने पर आर्थिक, व्यवहारिक एवं सीमित समय सीमा के कारण विज्ञप्ति जारी नहीं की जाती है।

(ख) विभाग से प्राप्त हुई रिक्तियों की मांग को उपनल के क्षेत्रीय परियोजना कार्यालयों में सूचनापट पर अंकित किया जाता है और उनको लगातार अपडेट किया जाता है।

(ग) इन पदों का विवरण उपनल की web site पर दिया जाता है।

(घ) मांग आने पर सम्बन्धित जिलों के जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के माध्यम से भी प्रचार – प्रसार किया जाता है।

(ड़) जिला सैनिक कल्याण एंव पुर्नवास कार्यालयों को रिक्तियों की सूचना एस0एम0एस0/whatsap के द्वारा दी जाती है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी इसकी सूचना अपने ब्लॉक प्रतिनिधियों को भी देते हैं।

(च) भर्ती के समय पर रिक्तियां बतायी जाती हैं, इससे भी प्रचार प्रसार में सहायता मिलती है।

(छ) चयनित अभ्यर्थियों को सूचित करना, मूल प्रमाणपत्रों की जॉच करना एवं नियुक्ति का दायित्व मुख्य नियोक्ता का होता है।

18. **भर्ती प्रक्रिया**। शासनादेश संख्या 323/XVII-3/13-09(17) 2004 दिनांक 12 जून 2013 के प्रस्तर 5 के अनुसार उपनल को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्रावधानों के अनुसार निविदा आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है अर्थात नियोक्ता विभाग उपनल से सीधे संविदा पर कार्मिक प्राप्त कर सकते हैं। प्रायोजन प्रक्रिया के लिए निम्नवत् दिन चिन्हित किये गये हैं :–

(क) मंगलवार। प्रत्येक मंगलवार (अवकाश छोड़कर) को पूर्व सैनिकों का प्रायोजन किया जाता है।

(ख) शुक्रवार। प्रत्येक शुक्रवार (अवकाश छोडकर) को पूर्व सैनिक के आश्रितों का प्रायोजन किया जाता है।

(ग) डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक, लेखा लिपिक, आशुलिपिक इत्यादि का टंकण परीक्षा के पश्चात् ही प्रायोजन किया जायेगा। इसी प्रकार सुरक्षा कर्मियों के प्रायोजन हेतु भी नियमानुसार परीक्षा ली जायेगी।

विविध पहलू

19. सामान्यतः हर मंगलवार और शुक्रवार को प्रातः 10.00 बजे से शाम के 5.00 बजे तक क्षेत्रीय परियोजना कार्यालयों द्वारा अभ्यर्थियों को प्रायोजित करने का कार्य किया जायेगा।

20. मुख्य नियोक्ता द्वारा दी गयी शर्तो एंव शैक्षिक/तकनीकी योग्यताओं के दस्तावेजो की जांच के उपरान्त ही योग्य अभ्यर्थियो को प्रायोजित किया जायेगा।

21. उत्तराखण्ड सरकार के आरक्षण सम्बन्धी दिनांक 25 मई 2012 के शासनादेशानुसार विभाग द्वारा ही श्रेणीवार आरक्षण के पदों की मांग की जायेगी क्योंकि विभाग ही वर्गीकृत आरक्षण के रिक्त पदों की जानकारी रखता है और आरक्षित पदों की मांग करने में विभाग ही सक्षम है। उपनल उसी वर्ग के योग्य अभ्यर्थी को प्रायोजित करेगा।

22. पूर्व सैनिकों एवं पूर्व सैनिक आश्रितों से मौखिक तौर पर पूछ ताछ कर एवं मूल (Original) दस्तावेजों की पूर्ण जॉच कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अभ्यर्थी वास्तव में पूर्व सैनिक एवं पूर्व सैनिक आश्रित हैं।

23. सेवायोजित करने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जिम्मेवारी मुख्य नियोक्ता की होती है।

24. मुख्य नियोक्ता द्वारा प्रायोजन पत्र की तिथि से अगर 30 दिन के अन्दर उपनल को नियुक्ति की पुष्टि प्राप्त नहीं होती है तो प्रायोजन पत्र की वैधता स्वतः ही निरस्त हो जायेगी। उसके पश्चात् जरूरत पड़ने पर प्रायोजन पत्र दोबारा प्रेषित किया जायेगा।

25. मुख्य नियोक्ता द्वारा नियुक्ति की पुष्टि के पश्चात् ही कार्मिक का बीजक एवं वेतन हेतु कार्यवाही प्रारम्भ होगी।

26. नियुक्तियों की पुष्टि के पश्चात् उपनल एवं विभाग के मध्य विभागीय अनुबन्ध की कार्यवाही की जाती है।

27. नियुक्ति पश्चात् अभ्यर्थी को एक माह के अन्दर अपना ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, कर्मकार प्रतिकर, व्यक्तिगत विवरण, व्यक्तिगत अनुबन्ध, सी.बी.एस. एकाउन्ट संख्या, आधार इत्यादि प्रपत्रों को भरकर और स्वप्रमाणित कर उपनल कार्यालय में प्रेषित करना पड़ता है।

28. पुलिस सत्यापन की कार्यवाही कार्मिक द्वारा 60 दिनों के अन्दर की जानी अनिवार्य है।

29. प्रायोजन प्रक्रिया में पूर्णतया पारर्शिता बनाए रखने के लिये उपनल में पंजीकरण की व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को आयोजित रैली में रिक्तियाँ घोषित की जाती हैं और उपयुक्त और इच्छुक अभ्यर्थी का अर्हता पूर्ण करने पर प्रायोजन किया जाता है। अधिक अभ्यर्थी होने पर एक रिक्ति के स्थान पर तीन – तीन अभ्यर्थी भी भेजे जाते हैं ताकि मुख्य नियोक्ता साक्षात्कार उपरान्त सबसे योग्य अभ्यर्थी का चयन कर सके।

30. स्थानान्तरण, पद परिवर्तन एवं पदोन्नति/पदोअवनति मुख्य नियोक्ता की संस्तुति एवं विभाग में पद उपलब्ध होने पर ही हो सकेगी। पद परिवर्तन हेतु उस पद की अर्हता आवश्यक है, जिसकी संस्तुति मुख्य नियोक्ता विभाग स्वयं करेगा।

31. उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या 771/XVII-5/16-09(26)/2014-टी0सी0 दिनांक 20 जुलाई 2016 के अनुसार विभागों द्वारा हटाये गये पूर्व उपनल कर्मियों को विभाग में पद श्रजित होने पर पुनः सेवायोजन किया जायेगा यदि वह कदाचार के दोषी न हों तो, जिस हेतु मुख्य नियोक्ता द्वारा उपनल को मांग प्रेषित करनी होगी।

32. अनुबन्धः–

(क) विभागीय अनुबन्ध। सम्बंधित विभाग और उपनल के बीच निर्धारित अवधि के लिए अनुबन्ध किया जायेगा जिसे प्रमुख नियोक्ता और उपनल की संस्तुति से निर्धारित अवधि के बाद पुनःरीक्षित किया जायेगा।

(ख) व्यक्तिगत अनुबन्ध। कार्योजित होने पर संविदा कर्मी और उपनल के मध्य एक अनुबन्ध किया जायेगा जिसका प्रारूप संलग्न है।

33. सेवा मुक्ति। वर्तमान में उपनल द्वारा प्रायोजित कर्मचारी संविदा पर कार्य करते हैं और उनकी सेवा अस्थाई होती है जो कि मुख्य नियोक्ता द्वारा किन्हीं कारणवश कभी भी समाप्त की जा सकती है। मुख्यतः कार्मिकों को निम्न कारणों से संविदा सेवा से हटाया जा सकता है, या अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है :–

(क) अनुशासनहीनता।

(ख) बिना सूचना, प्रार्थना पत्र या अनुमति के कार्य पर 10 दिन से ज्यादा दिनों तक अनुपस्थित रहना।

(ग) आवश्यकता न होने पर।

(घ) आयु सीमा पार करने पर ।

(ड़) किसी भी दिये गये तथ्य के गलत साबित होने पर।

(च) अनुबन्ध समाप्त होने पर।

34. सेवा मुक्ति हेतु कार्यवाहीः–

(क) यदि कोई कार्मिक स्वइच्छा से या किसी कारणवश सेवा देने में असमर्थता महसूस करता है तो वह मुख्य नियोक्ता को अपना त्यागपत्र प्रेषित कर सकता है। विभाग उस पत्र की स्वीकृति उपनल को तिथी सहित सूचित करेगा।

(ख) यदि विभाग किसी कार्मिक की सेवा समाप्त करना चाहता है तो वह कार्मिकों को कम से कम एक माह का नोटिस देगा। यदि मुक्ति अनुशासन सम्बन्धित है तो कार्मिक को अपनी गलती सुधारने का मौका दिया जायेगा और चेतावनी दी जायेगी, तदोपरान्त एक माह का नोटिस दिया जायेगा। यदि विभाग बिना नोटिस दिये किसी कार्मिक को उपरोक्त कारणों से सेवामुक्त करता है तो कार्मिक को विभाग द्वारा एक माह का वेतन अनुमन्य होगा।

35. सेवा मुक्ति के पश्चात उपनल का उत्तरदायित्व। संविदा कर्मी के सेवामुक्त होने के बाद उपनल का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा कि सेवामुक्त अभ्यिर्थी को पुनः नियोजित करें। मुख्य नियोक्ता को चाहिये कि संविदा से कर्मी को हटाने से पहले कार्मिक को चेतावनी दें, और स्पष्टीकरण का अवसर दें, जिसकी सूचना उपनल को भी देनी होगी। यदि कार्यमुक्त कार्मिक की आयु अर्हता आयु से कम है और उसे अनुशासनहीनता के कारण निष्कासित नहीं किया गया तो उपनल ऐसे कार्मिक को शासनादेश संख्या 771/XVII-5/16-09(26)/2014-टी0सी0 दिनांक 20 जुलाई 2016 के अनुसार पुनः प्रायोजित कर सकता है।

36. उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या 1187/XVII-5/17-09(30)/2013 दिनांक 12 सितम्बर 2017 के अनुसार उपनल के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को निम्नांकित अवकाश अधिकृत किये गये हैं:–

(क) सप्ताह में एक दिन।

(ख) तीन राष्ट्रीय अवकाश।

(ग) 12 दिन आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)।

(घ) 15 दिन अर्जित अवकाश (Earned Leave)।

टिप्पणी। शासनादेश द्वारा जो सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाते हैं, यदि विभाग उस सार्वजनिक अवकाश वाले दिवस पर कार्यरत नहीं है तो वह अवकाश उपनल कर्मी को भी अनुमन्य होगा। यदि सार्वजनिक अवकाश के दिन विभाग कार्यरत है तो उपनल कर्मी भी सेवा प्रदान करेंगे।

37. प्रसूति अवकाश। शासनादेश संख्या 190/XXVII(7)34(1)/2009 दिनांक 12 सितम्बर 2016 के अनुसार राज्य सरकार से नियन्त्रणाधीन विभागों/संस्थानों में बाह्य श्रोत से नियोजित महिलाओं को 180 दिन का प्रसूति अवकाश अनुमन्य किया गया है।

वित्त सम्बन्धी

38. वेतन। उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों मे संविदा पर नियुक्त कार्मिको का वेतन समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा पुनरीक्षित कर निर्धारित किया जाता है। वर्तमान में शासनादेश संख्या 500/XVII-5/2018-09(17)2004-TC-1 दिनांक 10 मई 2018 के अनुसार संविदा कर्मियों का वेतन निर्धारित किया गया है एवं दिनांक 22 जुलाई 2016 के अनुसार उपनल द्वारा प्रायोजित कर्मियों को प्रोत्साहन भत्ता त्रैमासिक आधार पर दिया जा रहा है।

39. भुगतान की प्रक्रिया। वेतन का भुगतान प्रमुख नियोक्ता से प्राप्त होने पर ई–बैंकिंग के माध्यम से सभी कर्मचारियों के बैंक खातों में प्रेषित किया जाता है। पीएसयू के मामले में, भुगतान अनुबंध के अनुसार अग्रिम में किया जाता है। भुगतान का विवरण निम्नवत् है :–

(क) उपनल द्वारा सरकारी विभागों/परियोजनाओं/निगम आदि में कार्यरत उपनल कार्मिकों के वेतन एवं भत्तों का भुगतान उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या 500/XVII-5/2018-09(17)/2004-TC-1 दिनांक 10 मई 2018 के अनुसार किया जा रहा है।

(ख) प्रत्येक माह के अंत में अथवा पहले सप्ताह की तीन तारीख तक मुख्य नियोक्ता द्वारा कार्मिकों की उपस्थिति प्रेषित की जाती है।

(ग) उपस्थिति की प्राप्ती के उपरान्त उपनल द्वारा बिल बनाये जाते हैं जिन्हें ई–मेल/पोस्ट के माध्यम से मुख्य नियोक्ता को प्रेषित किया जाता है।

(घ) मुख्य नियोक्ता द्वारा बिल प्राप्त होने के पश्चात, भुगतान राशि उपनल के खाते में ई–बैंकिंग/चैक के माध्यम से उपनल में जमा की जाती है।

(ड़) उपनल खाते में राशि प्राप्त होने के बाद, आवश्यक कटौतियों के करने के उपरान्त ई–बैंकिंग के माध्यम से कर्मचारियों के खाते में भुगतान भेजा जाता है। सर्विस चार्ज और जी.एस.टी. मुख्य नियोक्ता द्वारा देय होता है और कार्मिक के वेतन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मुख्य कटौतियां निम्नवत् हैं : –

(i) ई.पी.एफ. – मूल वेतन का 13% (मुख्य नियोक्ता का हिस्सा)।

(ii) ई.पी.एफ. – मूल वेतन का 12% (कर्मचारी का हिस्सा)।

(iii) ई.एस.आई. – कुल वेतन का 4.75% (मुख्य नियोक्ता का हिस्सा)।

(iv) ई.एस.आई. – कुल वेतन का 1.75% (कर्मचारी का हिस्सा)।

40. संविदा कर्मियों को सुविधायें :–

(क) वेतन का **On Line** भुगतान। समस्त संविदा कर्मियों को वेतन On Line खाते में किया जायेगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

(ख) ई0एस0आई योजना। यह योजना 01 अक्टूबर 2011 से लागू है व आज की तिथि में देहरादून, हरिद्वार, टिहरी गढवाल, पौडी गढवाल, नैनीताल व उधम सिंह नगर जिलों में है।

(ग) कर्मचारी प्रतिकर। यह योजना 01 अगस्त 2013 से लागू की गई है। जिन कर्मीयो को ई0एस0आई0 लागू नहीं है उनको कर्मकार प्रतिकर (Workman Compensation) योजना के अन्तर्गत वर्णित किया जायेगा। उत्तराखण्ड के सात जिलों यानि पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी और रूद्रप्रयाग में कर्मकार प्रतिकर (Workmen Compensation) लागू है।

(घ) मेडिकल सुविधा। जिन कार्मिकों को ई0एस0आई0 सुविधा लागू नही है व पूर्व सैनिक जो ई0सी0एच0एस0 के सदस्य नहीं है उनको उपनल द्वारा मेडिकल योजना लागू की गई हें जिसमें कर्मचारी को अपने वेतन से रू0 20/– प्रतिमाह योगदान देना होगा। वह कार्मिक एक वर्ष के अन्तर्गत Hospitalisation होने पर मेडिकल क्लेम ले सकता हैं। इसकी वार्षिक सीमा रू0 30,000/– प्रतिवर्ष निर्धारित है।

(ड़). जी0एस0टी0 **(Goods and Service Tax)**। उपनल केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार प्रतिमाह जी0एस0टी0 जमा करेगा जो कि मुख्य नियोक्ता द्वारा देय होगी। वर्तमान मे यह दर 18 प्रतिशत है।

सारांश

41. उपनल अपने उद्देश्य के प्रति सचेत है और उसकी हमेशा कोशिष रही है कि पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों का प्रायोजन पूरी पारदर्शिता और उनकी पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल हो। इन दिशानिर्देशों के अनुपालन से उम्मीद है कि सभी का प्रायोजन न्यायसंगत और शासनादेशों के अनुरूप होगा। यथासमय इसमें जहां सुधार की आवश्यकता होगी, किया जायेगा।

ब्रिगेडियर पी0पी0एस0 पाहवा (अ0प्रा0)
प्रबन्ध निदेशक

पत्र संख्या : 1001 / नियमावली / उपनल

28 मार्च 2019

प्रतिलिपि :–

1. क्षेत्रीय परियोजना कार्यालय देहरादून।
2. क्षेत्रीय परियोजना कार्यालय हल्द्वानी।
3. आंतरिक (सभी अनुभाग)।
4 आई0टी0 अनुभाग।
5. कार्यालय प्रति।

पुन्डीर

परिशिष्ट 'क'

विभिन्न पदों के लिए मूल अर्हताऐं

क्र. स.	श्रेणी	शैक्षिक योग्यता	अन्य योग्यता	अनुभव
1.	चतुर्थ श्रेणी / बहुकार्यकर्ता	5वीं पास / 10वीं पास / साक्षर	–	–
2.	ड्राईवर	10वीं पास	वैध लाइसेंस	पहाडी व मैदानी क्षेत्र में गाडी चलाने का अनुभव
3.	कम्प्यूटर ऑपरेटर / स्वागती	इन्टर / स्नातक (विभाग की मांग के अनुसार)	कम्प्यूटर कोर्स क्वालीफाईड	–
4.	लिपिक / कनिष्ठ सहायक	स्नातक	01 या 02 वर्ष का कम्प्यूटर कोर्स।	–
5.	कनिष्ठ सहायक	स्नातक	तदैव	कार्यालय सम्बन्धी कार्यों का पूर्ण ज्ञान।
6.	वैयक्तिक सहायक	स्नातक	तदैव	इन्टरनैट का ज्ञान, एम0एस0 आफिस का पूर्ण ज्ञान / आशुलिपि का ज्ञान।
7.	एस0एस0ओ0 / टी0जी0–2	आई0टी0आई0 प्रशिक्षित अभ्यर्थी	–	एक साल एप्रेंटिस।
8.	अकाउन्टेंट	बी0कॉम,	टैली 9.2, लेखा सम्बन्धी ज्ञान।	विभागीय मांगानुसार
9.	जे0ई0	डिप्लोमा इन सिविल इन्जनियरिंग / मैकेनिक / इलेक्ट्रोनिक / ईलेक्ट्रिक।	–	तदैव
10.	सहायक लाइन मैन	8वीं पास	–	–
11.	मीटर रीडर	10वीं पास (प्राथमिकता पूर्व सैनिक जे0सी0ओ0)	आई0टी0आई0	–
12.	ड्राफ्ट मैन / सर्वेयर	12वीं	डिप्लोमा इन ड्राफ्ट मैन	–
13.	अनुदेशक	स्नातक	विभागीय मांगानुसार सम्बन्धित व्यवसाय में आई0टी0आई0 डिप्लोमा।	–
14.	रेडियो आपरेटर	ESM, Signal Operator	–	–

क्र. स.	श्रेणी	शैक्षिक योग्यता	अन्य योग्यता	अनुभव
15.	बी0टी0एम0 / डी0पी0डी0	कृषि स्नातक / स्नाकोत्तर	–	–
16.	लाईब्रेरियन	B.Lib/M.Lib	–	विभागीय मांगानुसार
17.	प्रोग्रामर	BCA/MCA/B.Tech/M.Tech/IT	–	तदैव
18.	फारमेसिस्ट	D.Farma/M.Farma	–	–
19.	लैब टैक्निशियन	सम्बन्धित क्षेत्र में डिप्लोमा	–	–
20.	एक्स–रे टैक्निशियन	सम्बन्धित क्षेत्र में डिप्लोमा	–	–
21.	डाक्टर	M.B.B.S.	–	–
22.	वैटनेरी डाक्टर	Animal Husbandry	–	–
23.	वकील	L.L.B.	–	–

उत्तरांचल शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या 808/का–2/2002
देहरादून, 15 जून, 2002

अधिसूचना

राज्याधीन सरकारी सेवकों की अधिवर्षता आयु लोकहित में 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष करने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–यह आदेश 1 जून, 2002 से लागू होंगे।

3–वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड II, भाग–II के IV के मूल नियम 56 यथा–आवश्यक संशोधन की कार्यवाही वित्त विभाग द्वारा की जायेगी।

4–उपर्युक्त से सम्बन्धित आवश्यक उपबन्धों के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश राज्य सरकार द्वारा जारी किये जायेंगे।

आलोक

संख्या 806(1)/का–2/2002, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4. सचिव, राज्यपाल, उत्तरांचल।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

सुरेन्द्र

संख्या 808/

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव,
उत्तरांचल शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।
3–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक

विषय– सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कार्मिक विभाग के शासनादेश सं0 131/का–2/2002, दिनांक 20 ... मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर–1 के खण्ड ... में उल्लिखित "मुख्य सचिव" अंकित है, के स्थान पर "मुख्य सचिव द्वारा नामित एक वरिष्ठ अधिकारी" पढ़ा जाये।

2–उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

सुरे

संख्या 426/XXX(2)/2012 3(2)2006

दिलीप कुमार कोटिया,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/ प्रभारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।
3. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादून: दिनांक 25 मई, 2012

विषयः– राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने वाले सेवायोजन में आरक्षण के प्राविधान लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए क्रमशः सीधी भर्ती में 19%, 04% एवं 14% आरक्षण अनुमन्य है।

2– वर्तमान में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर विभिन्न कारणों से समयान्तर्गत सेवा नियमावलियों में निहित प्राविधानों के अनुसार सीधी भर्ती की कार्यवाही सम्पन्न न होने अथवा मितव्ययिता के दृष्टिगत विभिन्न सेवा प्रदाता संस्थाओं से आउटसोर्सिंग द्वारा सेवायोजन की कार्यवाही की जा रही है किन्तु आउटसोर्सिंग के द्वारा सेवायोजन में आरक्षण के प्राविधान लागू करने के स्पष्ट नियम विद्यमान न होने के कारण आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऐसे सेवायोजन में पर्याप्त अवसर एवं प्रतिनिधित्व सुलभ नहीं हो पा रहे हैं।

3– अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के विभागों एवं राज्याधीन निगमों, परिषदों, स्वायत्तशासी संस्थाओं/ शिक्षण संस्थाओं में यदि विभागीय ढाँचे में पद स्वीकृत हैं, जिनके सापेक्ष नियमित चयन की कार्यवाही सम्भव है। किन्तु किन्हीं कारणों से नियमित चयन के स्थान पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिक/ सेवाओं की व्यवस्था की जाती है अथवा यदि विभागीय ढाँचे में स्वीकृत संवर्ग/ पद "मृत संवर्ग" घोषित हो जाने के कारण उनके सापेक्ष नियमित चयन निषिद्ध है, किन्तु इस प्रकार रिक्त हो रहे पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों/ सेवाओं की व्यवस्था की जाती है, तो ऐसे प्रकरणों में सेवा प्रदाता संस्था द्वारा ऐसे सेवायोजन में भी कार्मिकों को सेवायोजित करने हेतु प्रचलित आरक्षण नियमों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

SC/ST Reservation GO

4– उक्त के निमित्त प्रक्रिया यह अपनायी जायेगी कि विभाग विशेष द्वारा सेवा प्रदाता संस्था को अधियाचन प्रेषित करने से पूर्व सम्बन्धित संवर्ग/पद के सापेक्ष आरक्षण की विद्यमान स्थिति का ऑकलन करते हुए आवश्यक कार्मिकों की संख्या में श्रेणीवार आरक्षित वर्ग के कार्मिकों की संख्या भी आकलित की जायेगी और तदनुसार ही चयनित बाह्य सेवा प्रदाता संस्था को मॉग/अधियाचन प्रेषित किया जायेगा, जिसके क्रम में बाह्य सेवा प्रदाता संस्था द्वारा श्रेणीवार इंगित संख्या में कार्मिकों की सेवायें सुलभ करायी जायेंगी।

5– अन्य प्रकरणों में जहॉ विभाग के संरचनात्मक ढॉचे में पद सृजित नहीं है, किन्तु नियतकालिक आधार पर सेवाओं की व्यवस्था की जानी है अथवा कार्य को ठेके पर ही किये जाने की व्यवस्था है, उन मामलों में आरक्षण सम्बन्धी नियम लागू नहीं होंगे और ऐसी सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु "उत्तराखण्ड राज्य अधिप्राप्ति नियमावली 2008" के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

6– कृपया आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवायोजन के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दिलीप कुमार कोटिया),
प्रमुख सचिव।

संख्या 426 (1)/XXX(2)/2012 3(2)2006 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, लोक आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग
6. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।

संख्या– 323 /XVII-3/13–09(17)/2004

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(i) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

(ii) मण्डलायुक्त,
गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल,
उत्तराखण्ड।

(iii) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

(vi) समस्त विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

(v) प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण
निगम लि0 (उपनल), देहरादून।

समाज (सैनिक) कल्याण अनुभाग–3 देहरादून दिनांक12 जून, 2013

विषयः–उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के माध्यम से संविदा पर कार्यरत समस्त कार्मिकों के नियतवेतन का पुनरीक्षण।

महोदय,

कृपया पार्श्वांकित शासनादेशों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड एक सैनिक/अर्द्ध सैनिक बाहुल्य राज्य है, जहाँ प्रतिवर्ष बडी संख्या में सैनिक सेवानिवृत हो रहे हैं, जिनका पुनर्वासन एवं कल्याण केन्द्र एवं राज्य सरकार के लिए चुनौती है। इसके लिए जहाँ निदेशालय, सैनिक कल्याण के माध्यम से विविध कल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तराखण्ड सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) अपनी स्थापना (वर्ष 2004) अवधि काल से ही पूर्व सैनिकों/अर्द्ध सैनिकों एवं उनके आश्रितों को संविदा के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराकर पुनर्वासन का कार्य करता रहा है।

शा0स0–158/XVII(1)-09(11)/2004
दिनांक 04 अगस्त, 2004
शो0स0–900/XVII(1)-03/2005–09(102)/05
दिनांक 24 मई, 2005
शा0स0–209/पी0एस0–स0सै0क0/2006
दिनांक 03 मार्च, 2006
शा0आ0–77/XVII-3/11-09(17)/2004
दिनांक 23 फरवरी, 2011

उपनल यद्यपि राज्य सरकार का सार्वजनिक उपक्रम है तथापि राज्य सरकार इसके संचालन व्यय में सहायता प्रदान नहीं करती बल्कि उपनल स्वयं अपने संसाधनों से इसकी व्यवस्था करता है। उपनल जहाँ एक ओर पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को मुख्यतः रोजगार उपलब्ध कराता है वहीं दूसरी ओर नियोक्ता (Principal Employer) विभाग की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को देखते हुये संतुलन भी स्थापित करता है अर्थात् उपनल एक आउटसोर्सिंग एजेन्सी के रूप में भी कार्य करते हुये योग्य/अर्ह मानव श्रम/तकनीक को उपलब्ध कराता है, चाहे सम्बन्धित कार्मिक की पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इस क्रम में उपनल अर्द्ध सैनिकों एवं एस0एस0बी0 गुरिल्लाओं को भी उनकी योग्यतानुसार तथा नियोक्ता विभाग की आवश्यकता एवं सन्तुष्टि के परिप्रेक्ष्य में संविदा पर रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है।

2 उत्तराखण्ड सरकार एवं उसके प्रतिष्ठानों / संस्थानों / निगमों / स्थानीय निकायों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० के माध्यम से उपलब्ध कराये गये समस्त कार्मिकों का पुनरीक्षित मानदेय नवीन परिशिष्ट–'क' (मुख्य नियोक्ता द्वारा देय) एवं परिशिष्ट 'ख' (कार्मिकों को शुद्ध देय) में उल्लिखित विवरण के अनुसार तत्काल प्रभाव से निर्धारित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है।

3 पार्श्वांकित शासनादेशों के आधार पर विभिन्न विभागों में रिक्त विभागीय पदों तथा विभागीय ढाँचे में चिन्हित आउटसोर्सिंग पदों हेतु संविदा पर सुरक्षा / तकनीकी / विविध सेवाओं के लिए उपनल के माध्यम से कार्मिक प्रदान करने की व्यवस्था संचालित है। संविदा पर नियुक्ति के समय पूर्व सैनिक / अर्द्ध सैनिक / वीर नारियों / पूर्व सैनिकों की धर्मपत्नी / आश्रित (पुत्र / पुत्री) को वरीयता प्रदान की जाती है। लेकिन विकलांग पूर्व सैनिक / अर्द्ध सैनिकों एवं पूर्व सैनिक / अर्द्ध सैनिकों के विकलांग आश्रितों का सेवायोजन सर्वोच्च प्राथमिकता पर प्रदान किया जाता है।

4 मुख्य नियोक्ता विभाग (Principal Employer) बिना टी डी एस कटौती के उपनल को पूर्ण राशि का भुगतान करेंगे। उपनल अग्रिम आय कर जमा कराने एवं अन्य सभी प्रकार के अनिवार्य शुल्क (Statutory due) जमा करने के लिये पूर्ण रूप से स्वयं उत्तरदायी होगा।

5 उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्राविधानों के अनुसार निविदा आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है अर्थात नियोक्ता विभाग उपनल से सीधे संविदा पर कार्मिक प्राप्त कर सकते हैं।

6 2.5 प्रतिशत सर्विस चार्ज की दर केवल उत्तराखण्ड राज्य के भीतर राज्य सरकार एवं उसके प्रतिष्ठानों / संस्थाओं / निगमों आदि के लिये ही निर्धारित की जा रही है। अन्य स्तरों (भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रों आदि) हेतु सर्विस चार्ज की दरें पुनर्वास महानिदेशालय, (DGR) भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार देय होगी।

7 उपनल के कार्मिकों को साप्ताहिक अवकाश (रविवार अथवा जो भी दिन अनुभन्य हो), 03 राष्ट्रीय (महात्मा गांधी जयन्ती, गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस), 12 दिन आकस्मिक और 15 दिन अर्जित अवकाश सवेतन लागू होंगे, किन्तु यदि कार्यालय अवकाश के दिन भी कार्य हेतु संचालित रहता है तथा अन्य कार्मिक भी सेवा हेतु उपस्थित रहते हैं तो उपनल के कार्मिक भी कार्य हेतु अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

8. अवकाश राहत केवल उन्ही कार्मिकों को देय है जिन्हे उक्त प्रस्तर 07 में उल्लिखित कोई अवकाश प्रदान नही किया जाता है।

9. सर्विस टैक्स की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर पुनरीक्षित किए जाने पर उसी तिथि एवं दरो पर तदनुसार लागू होगी।

10. उपनल के कार्मिकों को यात्रा / दैनिक भत्ता, कार्यरत विभाग के समतुल्य पद के सापेक्ष होगा। इस पर किसी प्रकार का सर्विस चार्ज / सर्विस टैक्स देय नही होगा।

11. यह आदेश पूर्व में जारी शासनादेश संख्या:– 596 / XVII-3 / 2011–09(17) / 2004 दिनांक 18 मई, 2011 शासनादेश संख्या–589 / XVII-3 / 2012–09(17) / 2004 दिनांक 25 सितम्बर, 2012 एवं शासनादेश संख्या–613 / XVII-3 / 2012–09(17) / 2004 दिनांक 15 अक्टूबर, 2012 को अतिक्रमित भी करता है।

12. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–416 / XVII-7 / 2013–14 दिनांक 07 जून, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव

पृष्ठांकन संख्या- 323 / XVII-3 / 11-09(17)04 तद्दिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव-मा० मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव-मा० मंत्री सैनिक कल्याण उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन
4. समस्त [illegible] कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
5. निदेशक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सचिवालय परिसर उत्तराखण्ड देहरादून।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भास्करानन्द)

सचिव।

7.

शासनादेश संख्याः- 323 /XVII-3/2012-09(17)/2004 दिनांक 12 जून 2013 का नवीन परिशिष्ट 'क' (पैरा 2 के संन्दर्भ में)

उत्तराखड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से संविदा पर कार्यरत समस्त कार्मिकों को मुख्य नियोक्ता द्वारा देय पुनरीक्षित नियत वेतन

क्र. स.	विवरण	अकुशल	अर्द्धकुशल	कुशल	उच्च कुशल
1.	बेसिक वेतन	5608	6655	7540	8540
2.	ग्रेच्युटी क्र.स. 1 का 4.81%	270	320	363	411
3.	मकान भत्ता क्र.स. 1 का 10%	561	666	754	854
4.	कपड़ा भत्ता क्र.स. 1 का 10%	561	666	754	854
5.	बोनस रू0 3600 का 8.33%	292	292	292	292
6.	योग (क्र.स. 1 से 5 तक)	7292	8599	9703	10951
7.	क0भ0नि0 अंशदान (ई0पी0एफ0) क्र.स. 1 का 13.15% (मुख्य नियोक्ता का अंशदान)	737	875	992	1123
8.	रा0क0बी0यो0 अंशदान (ई0एस0आई0) क्र.स. 6 का 4.75% (मुख्य नियोक्ता का अंशदान) (जहां लागू हो)	347	409	461	521
9.	कुल योग (क्र0सं0 6+7+8)	8376	9883	11156	12595
आवश्यक कटौतियां					
10.	क0भ0नि0 अंशदान (ई0पी0एफ0) क्र.स. 1 का 13.15% (मुख्य नियोक्ता का अंशदान)	737	875	992	1123
11.	ई0एस0आई0 क्र.स. 8 का 4.75% (मुख्य नियोक्ता का अंशदान)	347	409	461	521
12.	ई0पी0एफ0 क्र.स.1 का 12% (कर्मचारी का अंशदान)	673	799	905	1025
13.	ई0एस0आई0 क्र.स. 6 का 1.75% (कर्मचारी का अंशदान)	128	150	170	192
14.	कुल कटौतियाँ (क्र0सं0 10,11,12 व 13)	1885	2233	2528	2861
15.	कर्मचारी को शुद्ध देय (क्र0सं0 9-14)	6491	7650	8628	9734
16.	अवकाश राहत क्र0सं0 9 का 26.98%	जहाँ लागू हो।			
17.	सर्विस चार्ज क्र.स. 9 का 2.5%	209	247	279	315
18.	कुल योग (क्र0सं0 9+17)	8585	10130	11435	12910
19.	जी0एस0टी0 18%	1545	1823	2058	2324
20.	मुख्य नियोक्ता द्वारा कुल देय	10130	11953	13493	15234

नोट:-

1. अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रेणी के कार्मिक जो इस शासनादेश के लागू होने से पूर्व कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य हैं वे भविष्यनिधि के सदस्य बने रहेंगे तथा ऐसे कार्मिकों का भविष्य निधि अंश का भुगतान मुख्य नियोक्ता द्वारा रू0 6500/- पर 13.61 प्रतिशत के हिसाब से रू0 885/- तथा कर्मचारी का अंश 12 प्रतिशत के हिसाब से रू0 780/- की जायेगी।

अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल वर्ग के जो कार्मिक इस शासनादेश के लागू होने की तिथि के पश्चात नियुक्त होंगे [illegible] निधि की सदस्यता अनिवार्य नहीं है।

[illegible]

ई0एस0आई0 जहा लागू हो । जहा ई0एस0आई0 लागू नहीं है वहां मुख्य नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के " कर्मकार प्रतिकर" (Workman Compensation) की किश्त का भुगतान करना बाध्य होगा।

पदों का वर्गीकरण

(क) अकुशल । चौकीदार, वेटर, मसालची, परिचर अनुसेवक ,हाउसकीपर, सफाई कर्मचारी बेलदार, धाईयोय, लड्डे आया, टेलीफोन अर्दली, माली, चतुर्थ श्रेणी और इस प्रकार के काम करने वाले समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाय।

(ख) अर्द्धकुशल । मीटर रीडर, वैल्डर, मिस्त्री, कुक, नर्सिंग असिस्टेन्ट, लैब टैक्निशियन, सुरक्षा गार्ड, आबकारी सिपाही, निरीक्षक, स्टोर कीपर, गेज रीडर, स्वागती और इस प्रकार के काम करने वाले समस्त पद चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाय।

(ग) कुशल । डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, लाइब्रेरियन, सहायक लेखाकार, रोकड़िया, लिपिक, अनुदेशक, वाहन चालक, सुपरवाइजर, सर्वेदाक, ड्राफटसमैन, लेखाकार, फार्मेसिस्ट, सशस्त्र सुरक्षा गार्ड, लाइनमैन, रेडियो आपरेटर, आई0टी0आई प्रशिक्षित और इस प्रकार के काम करने वाले अन्य कर्मी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाय ।

(घ) उच्च कुशल । कनिष्ठ अभियन्ता, निजि सचिव,वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक, प्रोग्रमर, सहायक प्रोग्रामर, सहायक सुरक्षा अधिकारी और इस प्रकार के काम करने वाले समस्त कर्मी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाय।

(ड) अधिकारी वर्ग । प्रशासनिक अधिकारी, क्षेत्रीय परियोजना अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी चिकित्सा अधिकारी एवं एम0बी0ए0 पर्यटन इत्यादि को निम्नलिखित वेतनमान देय होगे :-

संकलित वेतन	सर्विस चार्ज 2.5%	योग	G.S.T 18 सर्विस टैक्स 45%	उपनल को देय कुल धनराशि
28175.00	704.00	28879.00	~~4332.00~~ 5198.00	~~33211.00~~ 34077.00

संख्याः–771 / XVII-5 / 16–09(26) / 2014-TC

शत्रुघ्न सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(i) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

(ii) मण्डलायुक्त,
गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल,
उत्तराखण्ड।

(iii) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

(iv) समस्त विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

(v) प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण
निगम लि0 (उपनल), देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग

देहरादून : दिनांक 20 जुलाई, 2016

विषयः–विभिन्न विभागों में उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर प्रायोजित कार्मिकों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–331 / XVII-5 / 16 / 09(26) / 2014–टी0सी, दिनांक 15.03.2016, शासनादेश सख्या–701 / XVII-5 / 16 / 09(26) / 2014 टी0सी, दिनांक 08.07.2016 एवं शासनादेश सख्या–713 / XVII-5 / 16 / 09(26) / 2014 टी0सी, दिनांक 09.07.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्सिंग व्यवस्था से नियोजित कार्मिक जिन्हें वर्तमान में विभिन्न विभागों द्वारा अकारण हटा दिया गया है, यदि वे कदाचार के दोषी नहीं है तो उन्हें पद उपलब्ध होने पर अन्य अर्हताओं को पूर्ण करने पर पुनः आउटसोर्सिंग द्वारा नियोजित करने हेतु नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जाएगी एवं वर्तमान परिस्थितियों / कार्यहित / जनहित / शासकीय हित में विभाग में यदि ऐसे कार्मिकों की आवश्यकता है, तो उनके नियोजन की निरन्तरता बनाई रखी जा सकती है।

अतः उपरोक्त के संबंध में मुझे पुनः सम्यक् विचारोपरान्त यह भी कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे संबंधित शासकीय / अर्द्धशासकीय विभाग / संस्थान जिन्होंने विभागीय कार्य हित / जन हित / शासकीय हित में उपनल के माध्यम से उनके द्वारा प्रायोजित कार्मिकों जिन्हें वर्तमान कैलेण्डर वर्ष 2016 में अकारण हटा दिया गया है, को उनके द्वारा आवेदन करने पर 15 दिन के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध पदों के सापेक्ष पुनः उपनल के माध्यम से प्रायोजित किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी तथा तदनुसार नियोजित किये जाने की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग एवं सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी / कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष की होगी, किन्तु यह निर्देश कदाचार, अनुशासनहीनता, अयोग्यता, अकार्यकुशलता आदि से संबंधित प्रकरणों पर लागू नहीं होंगे एवं किसी भी सक्षम न्यायालय / न्यायाधिकरण एवं आयोग आदि के आदेशों के अधीन होंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव।

GO UPNAL 2016

594/XVII/5/16 ...

(i) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

(ii) मण्डलायुक्त गढ़वाल / कुमाऊं मण्डल उत्तराखण्ड।

(iii) समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।

(iv) समस्त ... उत्तराखण्ड।

(v) प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० (उपनल), देहरादून।

...क कल्याण अनुभाग देहरादून 09 ... 2016

...—उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के माध्यम से पूर्व सैनिकों को प्रायोजित कि... सम्बन्ध में।

...य,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-323/XVII-3/13-09(17)/2004 दिनांक 12.06.2013 का ... का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त समस्त शासकीय विभागों/... ...नों/निगमों/स्थानीय निकायो एवं स्वात्तशासी संस्थानों आदि में उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्... ...नल) के माध्यम से केवल भूतपूर्व सैनिकों को ही प्रायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्... ...नल) द्वारा केवल भूतपूर्व सैनिकों को ही 10 वर्ष की अवधि तक विभिन्न शासकीय विभागों/निग... ...जित किया जायेगा। उक्त शासनादेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा तथा इसका कोई प्रभ... पूर्व में प्रायोजित कर्मियो पर नही पड़ेगा।

इस सम्बन्ध में पूर्व में उपनल के माध्यम से प्रायोजित कर्मियों के सम्बन्ध में समय-समय ... शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध पूर्व की भां... ...।

भवदीय

(आनन्द बर्द्धन)
सचिव।

...कन संख्याः— (1)/XVII-5/16-09(17)04 तद्दिनांक

...लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

निजी सचिव—मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
निजी सचिव—मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।

संख्या—685 / XVII-5 / 16 / 09(17

आनन्द बर्द्धन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

(i) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

(ii) मण्डलायुक्त,
गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल,
उत्तराखण्ड।

(iii) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

(vi) समस्त विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

(v) प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0
(उपनल), देहरादून।

कि कल्याण अनुभाग देहरादून :दिनांक 05 जुलाई 2016

...उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के माध्यम से पूर्व सैनिकों को प्रायोजित किये ...
सम्बन्ध में।

...य,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 595 / XVII-5/16-09(17)/2004 दिनांक 09.06.2016 का सन्द... का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भविष्य में उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) द्वारा ... सैनिकों को ही 10 वर्ष की अवधि तक विभिन्न शासकीय विभागों / निगमों में प्रायोजित किये ... निर्गत किये गये थे।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (... ध्यम से भूतपूर्व सैनिकों के साथ–साथ उनके विधिक आश्रितों को भी विभिन्न विभागों / सार्वजनिक ... गीय मांग के आधार पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार उपनल के मा... सैनिकों के साथ–साथ उनके विधिक आश्रितों को भी विभिन्न विभागों / सार्वजनिक उपक्रमों में ... के आधार पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित किया जाय। शासनादेश संख्या- 595 / XVII ...)/2004 दिनांक 09.06.2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की अन्य शर्तें एवं ... की भांति यथावत रहेंगी।

भवदीय
(आनन्द बर्द्धन)
सचिव।

...कन संख्या:– –– (1) / XVII-5 / 16–09(17)04 तद्दिनांक
...पि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–
निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।

791 / [illegible]

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(i) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

(ii) मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।

(iii) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

(v) प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल), देहरादून।

(vi) समस्त विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड।

सैनिक कल्याण अनुभाग

देहरादून : दिनांक 22 जुलाई, 16

विषयः—उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण लि0 (उपनल) के माध्यम से प्रायोजित कार्मिकों को प्रो भत्ता ।

महोदय,

शासनादेश संख्या—636 / XVII-5 / 16—09(17) / 2004 TC-1 दिनांक 17.06.2016 के सन्दर्भ यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण लि0 (उपनल) के माध्यम से प्रा कार्मिकों के संबंध में उक्त शासनादेश दिनांक 17.06.2016 को निरस्त करते हुए श्री राज्यपाल उ से अनुमन्य मानदेय के अतिरिक्त त्रैमासिक आधार पर अतिरिक्त धनराशि के रूप में प्रोत्साहन निम्नवत् अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

कमांक संख्या	देय प्रोत्साहन / विशेष भत्ता राशि
कार्मिकों को देय प्रोत्साहन / विशेष भत्ता राशि	रू0 2800 प्रतिमाह
सर्विस चार्ज 2.5 प्रतिशत	रू0 70
योग	रू0 2870
सर्विस टैक्स 15 प्रतिशत	रू0 430
मुख्य नियोक्ता द्वारा कुल देय राशि	रू0 3300

[illegible] ये आदेश दिनांक 17.06.2016 की तिथि से ही प्रभावी [illegible]

4 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-840/XXVII(1)/2016, दिनांक 22 जुलाई में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(आनन्द बर्द्धन)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या —(1)/XVII-5/16-09(26)/2014-TC: तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आदेश पत्रिका।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह राणा)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7
संख्या– 190/XXVII(7)34(1)/2009
देहरादून : दिनांक 12 अगस्त, 2016
सितम्बर,

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः– राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों/संस्थाओं में विभागीय एवं बाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियोजित महिला सेवकों को प्रसूति अवकाश अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार के अस्थायी/स्थायी महिला सेवकों को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–250/XXVII(7)/2009 दिनांक 24 अगस्त, 2009 द्वारा 180 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया गया है।

2. प्रदेश के नियंत्रणाधीन विभागों में विभागीय एवं बाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियोजित महिला सेवकों को मातृत्व अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में वर्तमान में राज्य के वित्तीय नियमों में कोई प्राविधान उपबन्धित नहीं हैं। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (समय–समय पर यथासंशोधित), जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागू है, के अनुसार विभागीय एवं बाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा पर नियोजित महिला सेवकों को प्रसूति अवकाश की सुविधा अनुमन्य की गयी है।

3. शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में प्रदेश के नियंत्रणाधीन विभागों/संस्थानों आदि में विभागीय/बाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियोजित महिला सेवकों को प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (समय–समय पर यथासंशोधित) में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों को पूर्ण करने पर प्रसूति अवकाश की सुविधा, उस सीमा तक जो निर्धारित की गयी हो, विभागीय संविदा से नियोजित कार्मिकों को नियोक्ता द्वारा एवं बाह्य स्रोत से नियोजित कार्मिकों को सेवा प्रदाता संस्था द्वारा अनुमन्य की जायेगी। अवकाश अवधि के संविदा वेतन का भुगतान यथाप्रकिया नियोक्ता द्वारा किया जायेगा।

4. संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियुक्त कार्मिक तथा नियोक्ता के मध्य होने वाले अनुबन्ध पत्र में ही प्रसूति अवकाश की अनुमन्यता के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

5. प्रसूति अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित नियोक्ता एवं सेवा प्रदाता संस्था द्वारा उक्त वर्णित अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या– 190 / XXVII(7)34(1) / 2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निबन्धक, उत्तराखण्ड मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
9. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त सेवा प्रदाता संस्था, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या-1187/XVII-5/17-09(30)/2013

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(i) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

(ii) मण्डलायुक्त,
गढवाल/कुमाऊँ मण्डल,
उत्तराखण्ड।

(iii) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

(iv) समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

(v) प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण
निगम लि0 (उपनल), देहरादून।

सैनिक कल्याण विभाग

देहरादून : दिनांक 12 सितम्बर, 2017

विषय : उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से प्रायोजित कार्मिकों को प्रतिकर अवकाश की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–323/XVII-3/13-09(17)/2004, दिनांक 12 जून, 2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत् कार्मिकों को अवकाश के सम्बन्ध में शासनादेश के प्रस्तर–7 एवं 8 में निम्नवत् व्यवस्था की गयी है :–

(7) उपनल के कार्मिकों को साप्ताहिक अवकाश (रविवार अथवा जो भी दिन अनुमन्य हों), 03 राष्ट्रीय अवकाश (महात्मा गांधी जयन्ती, गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस), 12 दिन आकस्मिक अवकाश और 15 दिन अर्जित अवकाश सवेतन लागू होंगे, किन्तु यदि कार्यालय अवकाश दिन भी कार्य हेतु संचालित रहता है तथा अन्य कार्मिक भी सेवा हेतु उपस्थित रहते हैं, तो उपनल के कार्मिक भी कार्य हेतु अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

(8) अवकाश राहत केवल उन्ही कार्मिकों को देय है, जिन्हें उक्त प्रस्तर में उल्लिखित कोई अवकाश प्रदान नहीं किया जाता है।

2. शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा उपनल के माध्यम से आउटसोर्स पर प्रायोजित कार्मिकों को उक्त शासनादेश के अनुसार अवकाश प्रदान नहीं किया जा रहा है, जबकि शासनादेश में अवकाश के सम्बन्ध में स्पष्ट व्यवस्था है।

अतः इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपनल के कार्मिकों को साप्ताहिक अवकाश (रविवार अथवा जो भी दिन अनुमन्य हो), 03 राष्ट्रीय अवकाश (महात्मा गांधी जयन्ती, गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस), 12 दिन आकस्मिक अवकाश और 15 दिन अर्जित अवकाश सवेतन अनुमन्य होंगे, किन्तु यदि कार्यालय अवकाश के दिन को भी कार्य हेतु संचालित रहता है तथा उपनल कार्मिक अवकाश दिवस में भी सेवा हेतु उपस्थित रहते हैं, तो ऐसे उपनल कार्मिकों को उस अवकाश के एवज में वर्ष के अन्तर्गत प्रतिकर अवकाश के रूप में अवकाश अनुमन्य किया जायेगा।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

GO UPNAL 2016

पृष्ठांकन संख्या (1)/XVII-5/17-09(30)/2013 : तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त वरिष्ट कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।

संख्या 500 /XVII-5/2018-09(17)/2004-TC-1

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

(i) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

(ii) मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।

(iii) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

(iv) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

(v) प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल), देहरादून।

सैनिक कल्याण विभाग

देहरादून : दिनांक 10 मई, 2018

विषय : उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से प्रायोजित समस्त कार्मिकों के नियत मानदेय का पुनरीक्षण।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या–323/XVII-3/13-09(17)/2004, दिनांक 12 जून, 2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 'उपनल' के माध्यम से प्रायोजित समस्त कार्मिकों का नियत मानदेय एवं सेवा शर्तें निर्धारित की गई थी। इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिए गए निर्णयानुसार उपनल द्वारा प्रायोजित समस्त कार्मिकों के समस्त देयकों को सम्मिलित करते हुए देय मानदेय मे रू0 1500/–(in hand) प्रतिमाह श्रेणीवार प्रति कार्मिक को मानदेय वृद्धि तत्काल प्रभाव से निम्नवत् निर्धारित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है:–

(धनराशि रू0 में)

क. सं.	मानदेय/कटौती का विवरण	अकुशल	अर्द्ध कुशल	कुशल	उच्च कुशल	अधिकारी
1	Basic Wages	6960	8008	8892	9892	29675
2	Gratuity 4.81% of Ser No 1	335	385	428	476	0
3	House Allowance 10% of Ser 1	696	801	889	989	0
4	Clothing Allowance 10% of Ser 1	696	801	889	989	0
5	Bonus 8 33% of Rs 7000	583	583	583	583	0
6	**Total (Ser 1 to 5)**	**9270**	**10578**	**11681**	**12929**	**29675**
7	EPF 13 15% of Ser 1 (Employer Share)	915	1053	1169	1301	0
8	ESIC 4 75% of Ser 6 (Where Applicable)	440	502	555	614	0
9	*Total (Ser 6+7+8)*	*10625*	*12133*	*13405*	*14844*	*29675*

GO UPNAL 2018

Statury Deductions

10	EPF 13.15% of Ser 1 (Employer Share)	915	1053	1169	1301	0
11	ESIC 4.75% of Ser 6 (Where Applicable)	440	502	555	614	0
12	EPF 12% (Employee,s Share)	835	961	1067	1187	0
13	ESIC 1.75% of Ser 6 Employee,s Share (Where Applicable)	139	159	175	194	0
14	***Total Deductions(Ser 10+11+12+13)***	***2329***	***2675***	***2966***	***3296***	***0***
15	**Net in hand to Employee (Ser 9-14)**	**8296**	**9458**	**10439**	**11548**	**29675**
16	Leave Relief 28.98% of Ser No 9(Where applicabe)					
17	Service Charge 2.5% of Ser 9	266	303	335	371	742
18	**Total (Ser 9+17)**	**10891**	**12436**	**13740**	**15215**	**30417**
19	GST 18% of Ser 18	1960	2238	2473	2739	5475
20	**Total Payable by Principal Employer(Ser No 18+19)**	**12851**	**14674**	**16213**	**17954**	**35892**

2. मुख्य नियोक्ता विभाग (Principal Employer) बिना टी0डी0एस0 कटौती के, उपनल को पूर्ण राशि का भुगतान करेंगे। उपनल अग्रिम आय कर जमा कराने एवं अन्य सभी प्रकार के अनिवार्य शुल्क (Statutory dues) जमा करने के लिए पूर्ण रूप से स्वयं उत्तरदायी होगा।

3. 2.5 प्रतिशत सर्विस चार्ज की दर केवल उत्तराखण्ड राज्य के भीतर राज्य सरकार एवं उसके प्रतिष्ठानों/संस्थाओं/निगमों आदि के लिए ही निर्धारित की जा रही है। अन्य स्तरों (भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रों आदि) हेतु सर्विस चार्ज की दरें पुनर्वास महानिदेशालय (DGR) भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार देय होगी।

4. सर्विस चार्ज, जी0एस0टी0, ई0एस0आई0, ई0पी0एफ0 की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर पुनरीक्षित किए जाने पर उसी तिथि एवं दरो पर तदनुसार लागू होगी।

5. यदि राज्य सरकार द्वारा सातवे वेतन आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार किया जाता है तो उक्त वृद्धि को उसमे समाहित मान लिया जायेगा तथा भविष्य में अन्य कोई वृद्धि पर विचार नहीं किया जायेगा।

6. उपनल के कार्मिकों को यात्रा/दैनिक भत्ता, कार्यरत विभाग के समतुल्य पद के सापेक्ष देय होगा। इस पर किसी प्रकार का सर्विस चार्ज/सर्विस टैक्स देय नही होगा।

7. उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधान के अनुसार निविदा आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है अर्थात् नियोक्ता विभाग उपनल से सीधे कार्मिक प्राप्त कर प्रायोजित कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–595/XVII-5/16-09(17)/2004, दिनांक 09 जून, 2016 व शासनादेश संख्या–685/XVII-5/16-09(17)/2004, दिनांक 05 जुलाई, 2016 एवं शासनादेश संख्या–424/XVII-5/18-06(02)/2018, दिनांक 12 अप्रैल, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. उपनल के कार्मिकों को साप्ताहिक अवकाश (रविवार अथवा जो भी दिन अनुमन्य हो), 03 राष्ट्रीय अवकाश (महात्मा गांधी जयन्ती, गणतत्र दिवस एव स्वतंत्रता दिवस) 12 दिन आकस्मिक और 15 दिन अर्जित अवकाश सवेतन लागू होगे किन्तु यदि कार्यालय अवकाश के दिन भी कार्य हेतु संचालित रहता है तथा अन्य कार्मिक भी सेवा हेतु उपस्थित रहते है तो उपनल के कार्मिक भी कार्य हेतु अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगें।

9. चिकित्सा शिक्षा विभाग में विभिन्न मेडिकल कालेजों यथा हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालय आदि एवं अन्य संस्थाओं यथा उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम, डी0पी0एम0यू0 (स्वजल परियोजना), आई0टी0डी0ए0, विद्युत नियामक आयोग, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद्, वन विकास निगम, टिहरी विशेष विकास प्राधिकरण आदि में उपनल के माध्यम से प्रायोजित कार्मिकों को मानदेय भुगतान में शासनादेश संख्या–625/XVII-5/16-09(17)/2004, दिनाक 16 जून, 2016 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या–649/XVII-5/16-09(17)/2004, दिनांक 22 जून, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10. इस संबंध में पूर्व में जारी शासनादेश संख्या–323/XVII-3/13-09(17)/2004, दिनांक 12 जून, 2013 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

11. उक्तानुसार उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) द्वारा उपनल के माध्यम से प्रायोजित समस्त कार्मिकों को मुख्य नियोक्ता द्वारा देय पुनरीक्षित नियत मानदेय के संबंध में मुख्य नियोक्ता एवं शासन को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–650(1)/XXVII(1)/2018–19, दिनांक 10 मई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या (1)/XVII-5/2018-09(17)2004-TC-1 : तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2 स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3 गोपन (मंत्रिपरिषद्) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4 वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
5 समस्त वरिष्ट कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7 आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि०(उपनल)
(उत्तराखण्ड सरकार का उपकम)
सब ऐरिया कैन्टी परिसर गढी कैन्ट,देहरादून,उत्तराखण्ड

यह अनुबन्ध आज दिनाँक ———— को ,उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि०(उपनल) प्रथम पक्ष एवं ————
पुत्र/पुत्री ———— **निवासी** ———— द्वितीय पक्ष के बीच निम्नलिखित षर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जा रहा है।

1. **यह नियुक्ति** केवल अस्थायी है ,तथा मेरी अस्थायी सेवा अवधि मुख्य नियोक्ता के आवष्यकतानुसार घटायी अथवा बढाई जा सकती है। उक्त अवधि के समाप्त होते ही मेरी सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा उसके बाद उपनल मुझे नौकरी पर रखने के लिए बाध्य नही होगा।यह स्पश्ट है कि मै किसी भी प्रकार के स्थायीकरण का /की हकदार नही हूँगा/हूगी।

2. मेरा वेतन एवं अवकाश की अवधि उत्तराखण्ड सरकार के षासनादेष/उत्तराखण्ड लेबर कमिष्नर/मुख्य नियोक्ता द्वारा स्वीकृत अनुबन्ध की षर्तो के अनुसार होगा।

3. मेरा वेतन से ग्रुप पर्सनल इन्श्योरेंस/एक्स ग्रेषिया/मेडिकल बीमा,भविश्य निधि में अंषदान,सम्बन्धित जो लागू हो कि अर्न्तगत कटौती कर सम्बन्धी विभागों में जमा कराया जायेगा।

4. मै नियुक्ति के दो सप्ताह के अन्दर पंजाब नेषनल बैक /एस.बी.आई की किसी भी सी0बी0एस0 षाखा में अपना बैंक खाता खुलवाऊगा/खुलवाऊगी तथा खाते की एक छायाप्रति उपनल कार्यालय को उपलब्ध कराऊगा/कराऊगी।

5. मै मुख्य नियोक्ता के किसी भी कर्मचारी /अधिकारी के साथ किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत वित्तीय लेन देन नहीं करूगा/करूगी और यदि मै ऐसा करता हूँ/करती हूँ तो किसी भी प्रकार की क्षति पूर्ति के लिये उपनल जिम्मेदार नही होगा।

6. अस्थायी नियुक्ति के पश्चात् मै चरित्र प्रमाण पत्र तथा पुलिस सत्यापन कर जिसकी अवधि 06 महीने से अधिक ना हो उपनल कार्यालय में प्रेशित करूँगा/करूँगी। मै यह षपथ पत्र श्री उपनल कार्यालय में प्रेशित करूँगा/करूँगी कि मै किसी भी अपराधिक /अवांछनीय मामले में संलिप्त नहीं हूँ।

7. इस अनुबंध के सम्बन्ध में उपनल के साथ यदि मेरा विवाद होता है तो उपनल के अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी का निर्णय अन्तिम समझा जायेगा जो कि मुझे मान्य होगा।

8. मै अपनी ड्यूटी पूर्ण निश्ठा एवं कर्त्तव्यपरायणता से करूँगा/करूँगी तथा मुख्य नियोक्ता के विभागीय नियम एवं विनियमों का पालन करूँगा/करूँगी। ऐसा नही करने पर मेरी सेवा तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जाये।

9. जब कभी भी मेरी सेवा समाप्त हो जाती है तथा मुख्य नियोक्ता द्वारा मेरी सेवा विस्तार किया जाता है तो ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा दो सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध नवीनीकरण कर अविलम्ब उपनल कार्यालय को प्रेशित किया जायेगा।

10. मै मुख्य नियोक्ता के कर्मचारी/अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी भी कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देषों को पूर्ण कत्तर्व्य के साथ पालन करूगा मुख्य नियोक्ता के आदेषानुसार मेरी नियुक्ति विभागीय कार्यो हेतु जिले में कही भी की जा सकती है। जो मुझे मान्य होगा। यदि मेरी सेवा मुख्य नियोक्ता द्वारा उपयुक्त नही पायी गयी तथा प्रतिस्थानी की मांग पर उपनल द्वारा मेरे स्थान पर प्रतिस्थानी भेजा जायेगा जो कि मुझे मान्य होगा।

11. मेरा व्यवहार सौहार्दपूर्ण तथा समाज की मान्यताओं के अनुरूप होगा,यदि आप किसी गतिविधि में लिप्त है जो कि कानूनी तौर पर गलत हो या असभ्य हो तो मेरी अस्थायी सेवा तुरन्त समाप्त कर दी जाये।

12. यदि मेरी लापरवाही के कारण मुख्य नियोक्ता के कार्यालय /भवन/परिसर/जहां पर मुझे सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात किया गया हो,उस स्थान के अन्दर यदि कोई चोरी/नुकसान होता है तो उसके लिए मेरी जिम्मेदारी होगी तथा होगी तथा नुकसान की भरपाई मेरे द्वारा की जायेगी । एवं अन्दर व बाहर जाने वाले सामान को निरिक्षण उपरान्त लेखाजोखा रजिस्टर मे दर्ज करूगा।

13. मै अपने सीनियर ऑफिसर /चीफ सिक्यूरिटी ऑफिसर /असिस्टेन्ट सिक्युरिटी ऑफिसर / असिस्टेन्ट कमाण्डेन्ट/सुपरवाईजर/गार्ड कमाण्ड की आज्ञा का पालन करूगा।

14. मै यह भी षर्त मंजूर करता हू कि मेरी वेतन भुगतान से 10 प्रतिषत वर्दी भत्ता मिलता है अतः मै हमेषा ड्यूटी के दौरान साफ सुथरी वर्दी पहनुगा। मेरा हेयर कट आर्मी के क्वार्टर गार्ड (सुरक्षा गार्ड) के जैसा ही होगा इसके विपरीत पाये जाने पर मेरी वेतन काटी जा सकती है या सेवा समाप्त भी कि जा सकती है।

15. मै यह षर्त मंजूर करता हूं कि जब तक हमारा वेतन जहां मै ड्यूटी करता हूं वहां से पैसा नहीं आ जाता मै वेतन भुगतान के लिए नही कहूंगा। मै ड्यूटी करने से एवं ड्यूटी के दौरान मदिरापान/किसी भी प्रकार की नषीली वस्तु का सेवन नही करूगा, यदि मेरे द्वारा इस प्रकार कि चीजों का सेवन करते हुए पाया गया तो मेरी सेवा तुरन्त समाप्त कर दी जाए।

16. सेवानिवृत्त आयुसीमा 60 वर्श अथवा मुख्य नियोक्ता द्वारा निर्धारित ।

17. मेरे द्वारा उपरोक्त घोशणा को पूर्ण रूप से समझ ली गयी है तथा मै उपरोक्त षर्तो एवं प्रतिबंधों के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हूं। यदि मेरे द्वारा उपरोक्त षर्तो एवं प्रतिबन्धों का किसी भी प्रकार से उल्लघंन किया जाता है तो उपनल द्वारा किसी पूर्व सूचना के मेरी सेवा तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

संख्या- / XVII-5 / 18-04(17) /

उत्पल कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(i) समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

(ii) मण्डलायुक्त,
गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल,
उत्तराखण्ड।

(iii) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

(vi) समस्त विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

सैनिक कल्याण अनुभाग

देहरादून : दिनांक 06 मई, 2018

विषय - विभागों द्वारा उपनल के माध्यम से सेवायें आउटसोर्स किये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या--595/XVII--5/16/09(17)/2004 दिनांक 09 मई 2016 एवं शासनादेश संख्या--635/XVII--5/16/09(17)/2004 दिनांक 05 जुलाई, 2016 द्वारा क्रमशः भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके विधिक आश्रितों को उपनल के माध्यम से सेवायोजित करने के निर्देश दिये गये, किन्तु उक्त शासनादेश निर्गत होने के उपरान्त उपनल के माध्यम से आउटसोर्स किये जाने के प्रकरणों में लगातार कमी आ रही है।

इस संबंध में दिनांक 04 मई, 2018 को सम्पन्न उच्च स्तरीय राज्य सैनिक परिषद की बैठक में भू0पू0 सैनिकों के रोजगार के दृष्टिगत विभागों को उपनल के माध्यम से ही सर्वप्रथम सेवायें आउटसोर्स किये जाने एवं जिन सेवाओं को उपनल आउटसोर्स करने में असमर्थ हों, ऐसी सेवाओं को अन्य स्रोत से आउटसोर्स करने का निर्णय लिया गया है।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-630/XVII-5/18-09(17)/2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या 640/XVII-5/2020-09(26)/2014(TC)

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(i) समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

(ii) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

(ii) मण्डलायुक्त, कुमायूं/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

(iv) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

(v) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

(iv) प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0, (उपनल), देहरादून।

सैनिक कल्याण विभाग

देहरादून : दिनांक 10 अगस्त, 2020

विषय : विभिन्न विभागों में उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) से आउटसोर्स के माध्यम से प्रायोजित कार्मिकों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–771/XVII-5/16-09(26)/2014(TC), दिनांक 20 जुलाई, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्सिंग व्यवस्था से नियोजित कार्मिक जिन्हें वर्तमान में विभिन्न विभागों द्वारा अकारण हटा दिया गया है, यदि वे कदाचार, अनुशासनहीनता, अयोग्यता, अकार्यकुशलता आदि के दोषी नहीं हैं तो उन्हें पद उपलब्ध होने एवं अन्य अर्हताओं को पूर्ण करने पर पुनः आउटसोर्सिंग द्वारा नियोजित करने हेतु नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी एवं वर्तमान परिस्थितियों/कार्यहित/जनहित/शासकीय हित में विभाग में यदि ऐसे कार्मिकों की आवश्यकता है, तो उनके नियोजन की निरन्तरता बनाई रखी जा सकती है।

शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाये गए हैं कि कतिपय विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्स कर्मियों को बिना समुचित कारण के हटाया जा रहा है। अतः इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे संबंधित शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग/संस्थान जिन्होंने विभागीय कार्यहित/जनहित/शासकीय हित में उपनल के माध्यम से उनके द्वारा प्रायोजित कार्मिकों जिन्हें अकारण हटा दिया गया है, को उनके द्वारा पुनः आवेदन करने पर एक माह के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पुनः उपनल के माध्यम से प्रायोजित किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी तथा तदनुसार नियोजित किये जाने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित विभाग एवं

......2......

संबंधित नियुक्ति अधिकारी/कार्यालय अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की होगी, किन्तु यह निर्देश कदाचार, अनुशासनहीनता, अयोग्यता, अकार्यकुशलता आदि से संबंधित प्रकरणों पर लागू नहीं होंगे तथा किसी भी सक्षम न्यायालय/न्यायाधिकरण एवं आयोग आदि के आदेशों के अधीन होंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 640 (1)/XVII-5/2020-09(26)/2014(TC) : तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री मन्त्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 735 /XVII-5/2020-09(17)/2004-TC-1

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(i) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

(ii) मण्डलायुक्त,
गढवाल/कुमाऊँ मण्डल,
उत्तराखण्ड।

(iii) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

(iv) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

(v) प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल), देहरादून।

सैनिक कल्याण विभाग

देहरादून : दिनांक 21 अगस्त, 2020

विषय : उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से प्रायोजित समस्त कार्मिकों के नियत मानदेय का पुनरीक्षण।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या–323/XVII-3/13-09(17)/2004, दिनांक 12 जून, 2013 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या–500/XVII-5/2020-09(17)/2004-TC-1 दिनांक 05 मई, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 'उपनल' के माध्यम से प्रायोजित समस्त कार्मिकों का नियत मानदेय एवं सेवा शर्तें निर्धारित की गई थी। इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिए गए निर्णयानुसार उपनल द्वारा प्रायोजित समस्त कार्मिकों को मानदेय (Basic Wages) तत्काल प्रभाव से निम्नवत् निर्धारित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है:–

(धनराशि रू0 में)

क्र. सं.	मानदेय/कटौती का विवरण	अकुशल	अर्द्ध कुशल	कुशल	उच्च कुशल	अधिकारी
1	Basic Wages	8352.00	9610.00	10670.00	11870.00	35610.00
2	Gratuity 4.81% of Ser No 1	402.00	462.00	513.00	571.00	0
3	House Allowance 10% of Ser 1	835.00	961.00	1067.00	1187.00	0
4	Clothing Allowance 10% of Ser 1	835.00	961.00	1067.00	1187.00	0
5	Bonus 8.33% of Rs 7000	583.00	583.00	583.00	583.00	0
6	**Total (Ser 1 to 5)**	**11007.00**	**12577.00**	**13900.00**	**15398.00**	**35610.00**
7	EPF 13 % of Ser 1 (Employer Share)	1086.00	1249.00	1387.00	1543.00	0
8	ESIC 3.25 % of Ser 6 (Where Applicable)	358.00	409.00	452.00	500.00	0
9	***Total (Ser 6+7+8)***	**12451.00**	**14235.00**	**15739.00**	**17441.00**	**35610.00**

Statury Deductions

10	EPF 13 % of Ser 1 (Employer Share)	1086.00	1249.00	1387.00	1543.00	0
11	ESIC 3.25% of Ser 6 (Where Applicable)	358.00	409.00	452.00	500.00	0
12	EPF 12% (Employee,s Share)	1002.00	1153.00	1280.00	1424.00	0
13	ESIC 0.75 % of Ser 6 Employee,s Share (Where Applicable)	83.00	94.00	104.00	115.00	0
14	***Total Deductions(Ser 10+11+12+13)***	**2529.00**	**2905.00**	**3223.00**	**3582.00**	**0**
15	**Net in hand to Employee (Ser 9-14)**	**9922.00**	**11330.00**	**12516.00**	**13859.00**	**35610.00**
16	Leave Relief 28.98% of Ser No 9(Where applicabe)					
17	Service Charge 2.5% of Ser 9	311.00	356.00	393.00	436.00	890.00
18	**Total (Ser 9+17)**	**12762.00**	**14591.00**	**16132.00**	**17877.00**	**36500.00**
19	GST 18% of Ser 18	2297.00	2626.00	2904.00	3218.00	6570.00
20	**Total Payable by Principal Employer(Ser No 18+19)**	**15059.00**	**17217.00**	**19036.00**	**21095.00**	**43070.00**

2. 2.5 प्रतिशत सर्विस चार्ज की दर केवल उत्तराखण्ड राज्य के भीतर राज्य सरकार एवं उसके प्रतिष्ठानों/संस्थाओं/निगमों आदि के लिए ही निर्धारित की जा रही है। अन्य स्तरों (भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रों आदि) हेतु सर्विस चार्ज की दरें पुनर्वास महानिदेशालय (DGR) भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार देय होगी।

3. सर्विस चार्ज, जी0एस0टी0, ई0एस0आई0, ई0पी0एफ0 की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा समय--समय पर पुनरीक्षित किए जाने पर उसी तिथि एवं दरो पर तदनुसार लागू होगी।

4. उपनल के कार्मिकों को यात्रा/दैनिक भत्ता, शासन की सहमति से उपनल द्वारा निर्धारित दरों के हिसाब से देय होगा। इस पर सर्विस चार्ज देय नही होगा, लेकिन जी0एस0टी0 (जी0एस0टी0 एक्ट) के मुताबिक देय होगा।

5. उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधान के अनुसार निविदा आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है अर्थात् नियोक्ता विभाग उपनल से सीधे कार्मिक प्राप्त कर प्रायोजित कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–595/XVII-5/16-09(17)/2004, दिनांक 09 जून, 2016 व शासनादेश संख्या–685/XVII-5/16-09(17)/2004, दिनांक 05 जुलाई, 2016 एवं शासनादेश संख्या–424/XVII-5/18-06(02)/2018, दिनांक 12 अप्रैल, 2018 एवं उक्त कार्मिकों की सेवाओं के संबंध में शासनादेश संख्या–640/XVII-5/2020-09(26)/2014(TC), दिनांक 10 जुलाई, 2020 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. उपनल के कार्मिकों को साप्ताहिक अवकाश (रविवार अथवा जो भी दिन अनुमन्य हो), 03 राष्ट्रीय अवकाश (महात्मा गांधी जयन्ती, गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस) 12 दिन आकस्मिक और 15 दिन अर्जित अवकाश सवेतन लागू होंगे, उक्त अवकाश कलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर लैप्स हो जायेंगे, किन्तु यदि कार्यालय अवकाश के दिन भी कार्य हेतु संचालित रहता है तथा अन्य कार्मिक भी सेवा हेतु उपस्थित रहते हैं तो उपनल के कार्मिक भी कार्य हेतु अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगें।

7. उक्तानुसार उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) द्वारा उपनल के माध्यम से प्रायोजित समस्त कार्मिकों को मुख्य नियोक्ता द्वारा देय पुनरीक्षित मानदेय के संबंध में मुख्य नियोक्ता एवं शासन को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. इस संबंध में पूर्व में जारी शासनादेश संख्या–500/XVII-5/2018-09(17)/2004(TC-1), दिनांक 10 मई, 2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

9. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–499/XXVII(7)/2020, दिनांक 20 अगस्त, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या (1)/XVII-5/2020-09(17)2004-TC-1 : तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ले0 एवं ह0), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. गोपन (मंत्रिपरिषद्) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त वरिष्ट कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।

संख्याः– 814 / XVII –5 / 2020–06(02) / 2020

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0,
देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग

देहरादूनः दिनांकः 16 सितम्बर, 2020

विषयः– कोविड–19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण बेरोजगार उत्तराखण्ड वासियों को उपनल के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप अवगत ही है कि उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न शासकीय / अर्द्धशासकीय विभागों एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में उनकी मांग एवं आवश्यकता के अनुसार आउटसोर्स के आधार पर कार्मिक उपलब्ध कराये जाते हैं। शासनादेश संख्या–685 / XVII –5 / 16–09(17) / 2004, दिनांक 05 जुलाई, 2016 द्वारा केवल भूतपूर्व सैनिकों के साथ–साथ उनके विधिक आश्रितों को ही 10 वर्ष की अवधि तक विभिन्न शासकीय विभागों / निगमों में प्रायोजित किये जाने का प्राविधान है।

2. वर्तमान में कोविड–19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर एवं मा0 प्रधानमंत्री जी की पहल के अनुसार "गरीब कल्याण रोजगार अभियान" के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि जो उत्तराखण्ड वासी राज्य में वापस आ गये हैं उन्हें, उनके अनुभव / योग्यता / कौशल के अनुसार उनके निवास स्थान के नजदीक उनकी कार्यकुशला के आधार पर उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से अस्थाई रोजगार प्रदान किया जाए।

3. अतः इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम 'उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल)' के माध्यम से स्वास्थ्य, हाउसकीपिंग, हास्पिटैलिटी एवं तकनीकी आदि क्षेत्रों में मांग के सापेक्ष उपनल में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों / उनके आश्रितों के उपलब्ध न होने की स्थिति में इन क्षेत्रों में कोविड–19 महामारी के कारण बेरोजगार उत्तराखण्ड वासियों के साथ–साथ राज्य के अन्य लोगों को भी अन्तिमतः दिनांक 31 मार्च, 2021 तक पंजीकृत अभ्यर्थियों में से Skilled (कुशल) लोगों को वरीयता देते हुए रोजगार उपलब्ध होने की तिथि से 11 माह तक अस्थाई रोजगार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

4. शासनादेश संख्या–685 / XVII –5 / 16–09(17) / 2004, दिनांक 05 जुलाई, 2016 को उक्त सीमा तक आंशिक संशोधित समझा जाए तथा शासनादेश संख्या–685 / XVII –5 / 16–09(17) / 2004, दिनांक 05 जुलाई, 2016 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या ——(1) / XVII –5 / 2020–06(02) / 2020 : तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद् अनुभाग), उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, अपर सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।